

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रशासित चाय बागानों में मजदूरी भुगतान

845 सुश्री सुष्मिता देव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में नियोजित, प्रशासित या प्रबंधित चाय बागानों और कामगारों की पीएसयू वार और राज्य वार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या इन चाय बागानों में कार्यरत कामगारों को कोई मजदूरी, बकाया अथवा सांविधिक देय राशि लंबित अथवा अदत्त है और ऐसी राज्य-वार लंबित राशि कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने पीएसयू प्रबंधित चाय बागानों में मजदूरी भुगतान में विलंब अथवा अनियमितताओं का संज्ञान लिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और
- (घ) क्या पीएसयू प्रशासित चाय बागानों और निजी स्वामित्व वाले चाय बागानों में नियोजित कामगारों की मजदूरी, लाभों अथवा कार्यदशाओं में कोई असमानता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में नियोजित, प्रशासित या प्रबंधित चाय बागानों और कामगारों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- (ख) से (घ): चाय बागान के कामगारों को मजदूरी का भुगतान, मजदूरी का निर्धारण और उनकी कार्यदशाओं से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मजदूरी तय करने का तरीका प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है।

चाय बोर्ड अपनी 'चाय विकास एवं संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' के माध्यम से असम राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में चाय संबंधी कामगारों के कल्याण के लिए कई क्रियाकलाप करता है, जो निम्नवत हैं:

- i. कामगारों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर।
- ii. बड़े चाय बागान के कामगारों और छोटे चाय उत्पादकों (1.00 हेक्टेयर तक) के बच्चों को शैक्षिक सहायता और मेधावी छात्रों को पुरस्कार (कक्षा X और XII के लिए) ।
- iii. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बंद चाय बागानों और बड़े चाय बागानों के कामगारों के बच्चों को किताब और पोशाक संबंधी अनुदान।
- iv. बंद चाय बागानों में कामगारों के दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार आश्रितों (गुर्दे, हृदय, यकृत रोग और कैंसर) के लिए सहायता।

इसके अतिरिक्त, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में चाय बागान कामगारों, विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना (पीएमसीएसपीवाई)' को सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए कुल 999 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था और इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करना आवश्यक था, जिसे अन्य बातों के साथ, राज्य में योजना के अंतर्गत किए जाने वाले घटकवार क्रियाकलापों और पीएमसीएसपीवाई के तहत क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए उप-कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रस्ताव देना था। हालांकि, असम राज्य सरकार द्वारा एसएलसी का गठन किया गया और असम राज्य में योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से पीएमसीएसपीवाई के लिए एसएलसी के गठन के संबंध में कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 06.02.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 845 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य	चाय बागानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1	असम चाय निगम लिमिटेड	असम	11	14737
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	असम	10	7310
3	त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड	त्रिपुरा	3	476
4	टेमी चाय बागान	सिक्किम	1	413
